



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266794
CG-DL-E-09102025-266794

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4436]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 4436]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4564(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, कि.मी 392.95 कि. मी से कि. मी 401.15, कि.मी 401.15 से 430.4 और कि. मी 430.4 से कि. मी 458.769 कि. मी महाराष्ट्र राज्य के NH160 (New) के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH160 (New) पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपविभागीय अधिकारी, विटा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH160 New	महाराष्ट्र	सांगली	खानापूर	1 कार्वे 2 खंवाळे भा

		के कि.मी 392.95 से कि.मी 401.15 तक			3	विटा (ईस्ट)
2	उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र.०३,सांगली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH160 New के कि.मी 401.15 से कि.मी 430.4 तक	महाराष्ट्र	सांगली	तासगाव	1 आळते 2 लिंग 3 पानमळेवाडी 4 शिरगाव विसापूर 5 विसापूर 6 बोरगाव 7 ढवळी 8 वंजारवाडी 9 कवठे एकंद 10 वासुंवे 11 नागाव कवठे 12 तासगाव
3	उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र.०६,सांगली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH160 New के कि.मी 430.4 से कि.मी 458.769 तक	महाराष्ट्र	सांगली	मिरज	1 काकडवाडी 2 रसुलवाडी 3 कवलापूर 4 कानडवाडी 5 तानंग 6 मालगाँव 7 टाकली 8 बोलवाड 9 वडुी 10 विजयनगर 11 म्हैसाळ 12 बेडग

[फा. सं. NH-15017/17/2025-P&M]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2025

S.O. 4564(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule

annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluka and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 392.95 to km. 401.15, km. 401.15 to km. 430.4 and km. 430.4 to km. 458.769 of (NH160 New) in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH160 (New) in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Divisional Officer, Vita	NH160 New KM 392.95 TO KM 401.15	MAHARASHTRA	SANGLI	Khanapur	1 Karve 2 Khambale Bhalvani 3 Vita (East)
2	Deputy Collector(LA), No-03, Sangli	NH160 New KM 401.15 TO KM 430.4	MAHARASHTRA	SANGLI	Tasgaon	1 Aalte 2 Limb 3 Panmalewadi 4 Sirgaon Visapur 5 Visapur 6 Borgaon 7 Dhavali 8 Vanjarwadi 9 Kavathe Ekand 10 Wasumbe 11 Nagaon Kavathe 12 Tasgaon
3	DeputyCollector(LA), No-06, Sangli	NH160 New KM 430.4 TO KM 458.769	MAHARASHTRA	SANGLI	Miraj	1 Kakadwadi 2 Rasulwadi 3 Kavalapur 4 Kanadwadi 5 Tanag 6 Malgaon 7 Takali 8 Bolwad 9 Vaddi 10 Vijay Nagar 11 Mhaisal (S) 12 Bedag

[F. No NH-15017/17/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director